संख्या: 10/2017/587/ सत्रह - म- 2017, 6-9(III)/16

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 02 मई 2017

विषय मत्स्य सेक्टर में शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि (अप्रैल् 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -185 /नि0शा0/2017- 18 दिनांक 18 अप्रैल 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017 -18 में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

2- उक्त योजना हेतु वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या – 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राविधानित धनराशि रू0 187.50 लाख में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल् 2017 से अगस्त 2017 तक अर्थात कुल का 5/12 भाग) हेतु रू0 78.00 लाख (रू0 अटठत्तर लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 75 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अधीन व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी बैंक / पी0एल0ए0 में जमा नही की जायेगी । उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्थानुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- उपरोक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व जहॉ पर उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो तो व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- शासनादेश संख्या –17/2016/1902/सत्रह-म-2016- 6-9(111)/2016 दिनांक 14 अक्टूबर 2016 द्वारा मत्स्य विभाग की स्वीकृत नवीन योजना तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017 -18 के अनुदान संख्या – 17 लेखाशीर्षक 2405 – मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास 27- सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या –3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत् किये जा रहे हैं।

संलग्न –यथोक्त।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या 10/2017/ 587 (1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5 - वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 10/ 2017 /587 /सत्रह-म-2017- 6-9(III)/16 दिनांक 02 मई, 2017 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 में तालाबों में मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति -

क्र0 सं0	जनपद	तालाबों के आच्छादन का लक्ष्य		नर्सरी निर्माण हेतु लक्ष्य (तालाब के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत		प्रतिनर्सरी 0.1 हे0 हेतु इकाई लागत 0.50 लाख की दर से कुल धनराशि (रू0 लाख में)	50 प्रतिशत की दर से अनुमन्य अनुदान (रू0 लाख में)	आय-व्ययक अनुमान 2017-18 (रू0लाख में)	लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
		संख्या	क्षेत्रफल (हे0में0)	संख्या	क्षेत्रफल (हे0में0)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
2	हाथरस	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
3	एटा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
4	कासगंज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
5	आगरा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
6	फिरोजाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
7	मैनपुरी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
8	मथुरा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
9	आजमगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
10	मऊ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
11	बलिया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
12	इलाहाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
13	कौशाम्बी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
14	फतेहपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
15	प्रतापगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
16	कानपुर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
17	कानपुर देहात	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
18	इटावा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
19	औरैया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
20	फर्रूखाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
21	कन्नौज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
22	गोरखपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	महराजगंज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
24	देवरिया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
25	कुशीनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
26	बस्ती	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
27	संतकबीरनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
28	सिद्धार्थनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
29	बांदा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
30	चित्रकूट	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
31	हमीरपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
32	महोबा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
33	झांसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
34	जालौन	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
35	ललितपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
36	गोण्डा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
37	बलरामपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
38	बहराइच	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
39	श्रावस्ती	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
40	फैजाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
41	अम्बेडकरनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
42	सुल्तानपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
43	अमेठी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
44	बाराबंकी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
45	बरेली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
46	बदायूं	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
47	शाहजहॉपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
48	पीलीभीत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
49	मिर्जापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
50	सोनभद्र	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
51	सं0 रविदासनगर (भदोही)	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
52	मुरादाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
53	सम्भल	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
54	अमरोहा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
55	रामपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
56	बिजनौर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
57	मेरठ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
58	बागपत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
59	गाजियाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
60	गौतम बुद्धनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
61	हापुड	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62	बुलन्दशहर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
63	लखनऊ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
64	उन्नाव	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
65	रायबेरली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
66	सीतापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
67	हरदोई	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
68	लखीमपुर खीरी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
69	वाराणसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
70	चन्दौली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
71	गाजीपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
72	जौनपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
73	सहारनपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
74	मुजफफरनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
75	शामली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	1.04
	योग	750	750.00	750	75.00	375.00	187.50	187.50	78.00

(कुल रू0 अठहत्तर लाख मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

http:// shasnadesh up nic com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।